रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072023-247010
CG-DL-E-04072023-247010

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945
No. 383] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 476(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा Email: comment-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर), 1989 में, नियम 125ञ के बाद, निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

"**125ट - संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन यानों के प्रकार की मंजूरी-** श्रेणी एम और एन के संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन यान समय-समय पर संशोधित एआईएस 195:2023 के अनुसार होंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63)के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि आईसी इंजन यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएस 16061:2021 के अनुसार होंगे।"

[फा. सं. आरटी-11036/211/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ) दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2023

G.S.R. 476(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2.The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules(CMVR),1989, after rule 125J, the following rules shall be inserted, namely:-

"125K- Type Approval of Compressed Gaseous Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicles- The compressed gaseous hydrogen Internal Combustion Engine vehicles of Categories M and N shall be in accordance with AIS 195:2023 as amended from time to time till the corresponding BIS specification is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986).

Provided that the hydrogen fuel specifications for IC Engine vehicles shall be in accordance with IS 16061: 2021."

[F. No. RT-11036/211/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA